31-5-18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि योग्य अदालत मातहत में अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि सम्वत 2071 में खoनंo 2298 कुआ रकबा 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर बंजड प्रथम पर दुकान का निर्माण कर कब्जा किया है । इस पर तहसीलदार ने गैरसायल को धारा-91 राजo भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत नोटिस दिया जिसकी तामिल दिनांक 7-4-15 पर हुई । तथा गैर सायल की अनुपस्थिति दिखाते हुये विद्वान तहसीलदार ने दिनांक 13-4-15 को निर्णय पारित कर गैरसायल को उक्त आराजी पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने योग्य अतिo जिला कलेक्टर सीकर में अपील पेश की जहां पर बाद सुनवाई अपील खारिज कर दी गई । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । योग्य अदालत मातहत मे अपीलान्ट की तामिल दिनांक 7-4-2015 को हुई तथा उक्त प्रकरण का निर्णय 6 दिन बाद 13-4-2015 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे किया गया है । योग्य अदालत मातहत का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । इस कारण हम अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान तहसीलदार खण्डेला का निर्णय दिo

तहसीलदार - खण्डेला 4/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	का निर्णय दिनांक 8-1-2018 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । अपीलान्ट अदालत मातहत में अपना जबाब नोटिस 15 दिन में पेश करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-7-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 31/5/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	